राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 19/2015- /वि०स० 25/1/16

प्रिय 18/..........

षोडश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । प्रथम सत्र में कुल छः (06) बैठकें संपन्न हुई ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

षोडश बिहार विधान सभा के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा श्री सदानन्द सिंह, वरीय सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद-180 के खण्ड-(1) के अधीन अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया । दिनांक 29 नवम्बर, 2015 को श्री सदानन्द सिंह, अस्थायी अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष राजभवन में शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया । उन्हें महामहिम राज्यपाल ने ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जिनके समक्ष बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य श्री वसन्त कुमार के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

षोडश बिहार विधान सभा के लिए नवनिर्वाचित कुल 243 सदस्यों में से अबतक 240 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान कर लिया गया है ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत किया गया था । श्री विजय कुमार चौधरी, सदस्य, जनता दल (यूनाइटेड) को सर्वसम्मति से षोडश बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेम कुमार, श्री सदानन्द सिंह, श्री जीतन राम मांझी, श्री राजू तिवारी, श्री ललन पासवान तथा विभिन्न दलों के अन्य नेतागण और सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देते हुए यह कहा गया कि सदन ने सर्वसम्मति से जो मुझपर विश्वास किया है, वह मेरे लिए एक चुनौती है और मैं संसदीय प्रणाली की उच्चतम परम्पराओं का निर्वाह करूँगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

षोडश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल, श्री राम नाथ कोविंद द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को सम्बोधित किया गया । श्री राम सेवक सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री भाई वीरेन्द्र, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को वाद-विवाद हुआ तथा दिनांक 08 दिसम्बर को प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

प्रथम सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित 08 (आठ) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गयाः-

(1) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015
(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015
(3) बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015
(4) बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2015
(5) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015
(6) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2015
(7) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
(8) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

वित्तीय कार्य

दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया ।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ऊर्जा विभाग के अनुदान की माँग वाद-विवाद के उपरान्त स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगें गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त "बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-111 के तहत बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखा गया ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का वर्ष 2014-2015 का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे", जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखा गया ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखा गया ।

याचिका

इस सत्र में सिर्फ 01 याचिका प्राप्त हुई ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 05 निवेदन प्राप्त हुए तथा सभी स्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 33 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 17 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 16 अल्पसूचित, 01 अतारांकित थे । स्वीकृत 17 प्रश्नों में से 15 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 02 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 18 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 04 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 11 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचना अमान्य हुआ ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

(1) स्वर्गीय बसन्त कुमार, निर्वाचित सदस्य

(2) स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०

(3) स्वर्गीय मोईदुर्रहमान, पूर्व स०वि०स०

(4) स्वर्गीय बाल किशोर मंडल, पूर्व स०वि०स०

(5) स्वर्गीय गजेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०

(6) स्वर्गीय मुहम्मद मुश्ताक मुन्ना, पूर्व स०वि०स०

(7) स्वर्गीय प्रो० राजाराम पासवान, पूर्व स०वि०स०

(8) स्वर्गीय विश्वनाथ ऋषिदेव, पूर्व स०वि०स०

(9) स्वर्गीय तुलसी सिंह, पूर्व स०वि०स०

(10) स्वर्गीय बंधु महतो, पूर्व स०वि०स०

(11) स्वर्गीय जितेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०

(12) स्वर्गीय रामाश्रय प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद एवं सभा सदस्य

दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

15.1.16

(राजीव कुमार)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

15.01.16

सेवा में,

....

....

....